-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले एक 25 हजार रुपए के इनामिया वांछित अभियुक्त को थाना मटौंध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फर्जी जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले एक अन्य 25 हजार रुपए के इनामिया वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला निवासी देबिया पुत्र चैतुवा द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना मटौंध पर अपने 34 बीघा जमीन की कुछ लोगों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना मटौंध पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 26.03.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा एक अन्य वांछित इनामिया अभियुक्त को गोयरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रज्जू उर्फ नेमकुमार पुत्र मूलचन्द्र निवासी गोड़ी बाबा खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 29/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)340(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना मटौंध श्री दीपेन्द्र सिंह
2. नि0 श्री इंदल यादव
3. उ0नि0 श्री दारा सिंह
4. कां0 शिवम यादव
5. का0 पुष्पेन्द्र कुमार